न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/172/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/515

अपीलार्थी
श्री महेश चन्द यादव पुत्र हीरालाल यादव,
नि0 म.नं. 363, खेडा का बास,
शिव मन्दिर, लीली, तहसील–मालाखेडा–301406

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 28.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांकः 12.10.2022 के माध्यम से क्वार्टर नं. 316 ग्राउण्ड फ्लोर अरावली विहार फेज प्रथम अंतर्गत किश्त जमा पश्चात् बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने संबंधी बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 11.11..22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को जवाब/सूचना प्रेषित करते हुए पत्र सं. 15458/22 दिनांकः 12.12.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 12.10.2022**, प्रथम अपील दिनांकः 11.11.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में जमा किश्त राशि के चालान/रसीद न्यास कार्यालय में मिलान वास्ते लिखा गया है, मिलान के अभाव में अपेक्षित कार्यवाही निष्पादित नहीं की जा सकी है।
8. सूचना आवेदन दिनांकः 12.10.2022 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने उपरान्त पत्र दिनांकः 12.12.2022 के माध्यम से सूचना प्रेषित किया जाना विलम्ब कारित प्रतीत होती है, भविष्य में अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार अविलम्ब सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. तथापि उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)